डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय,आगरा
(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

संख्या:सम्बद्धन/1697/14
दिनांक:..25..6..2014.

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य/निदेशक
हैरीटेज इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल
तालानगरी, रामघाट रोड़
अलीगढ़।

महोदय,

अनुसचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या:सम्ब0-60/सत्तर-2-2014-2(60)/2014 दिनांक 07 मई, 2014 द्वारा सूचित किया जाता है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2007) की धारा-37 (2) के परन्तुक के अधीन आपके महाविद्यालय को स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर शिक्षा संकायान्तर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम में (100 सीटों) की प्रवेश क्षमता सहित विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 01.07.2014 से संबद्धता की पूर्वानुमति उक्त पत्र में उल्लिखित पॉच शर्तों के अधीन सम्बद्धता प्रदान कर दी गई हैं :-

उत्तर प्रदेश शासन के उक्त सन्दर्भित पत्र के परिपेक्ष्य में मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि विश्वविद्यालय द्वारा आपके महाविद्यालय को उपर्युक्त पाठ्यक्रम में सम्बद्धता इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि प्रबन्धतंत्र शासन के उक्त पत्र दिनांक 07 मई, 2014 में उल्लिखित निम्नलिखित शर्तो को निर्धारित अवधि में पूर्ण कर लेगा।

(1) संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।

(2) कतिपय संस्थानों/महाविद्यालयो के सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता की पूर्वानुमति के निर्गत आदेशों में इंगित कमियों यथा-प्राभूत का नवीनीकरण, अग्निशमन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण व एन0बी0सी0 प्रमाण-पत्र सक्षम स्तर से निर्गत न होने की कमी का निराकरण किये जाने में यदि समय लगना सम्भावित हो तो विश्वविद्यालय उक्त महाविद्यालय के सम्बद्धता आदेश तत्काल निर्गत करते हुए उपरोक्त कमियों की पूर्ति से सबधित अभिलेख महाविद्यालयों से एक माह में प्राप्त कर लेगा।

(3) महाविद्यालय/संस्थान द्वारा बी0एड0 पाठ्यक्रम में शासन द्वारा अनुमान्य समस्त सीटों को सुसंगत एवं अद्यतन शासनादेश के अनुसार किसी शैक्षिक सत्र में होने वाली प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित एवं काउन्सिलिंग के माध्यम से आवंटित अभ्यर्थियों के माध्यम से ही भरा जायेगा तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार शैक्षिक दिवसों में पठन-पाठन कराया जायेगा।

(4) यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो एवं मानको की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नही किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

(5) संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।

यदि प्रबन्धतंत्र शासन के उक्त वार्णित पत्र में इंगित कमियों को समयान्र्तगत पूर्ण नही करता है तो सुसंगत प्रावधानों के अर्न्तगत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

उपर्युक्त के अनुसार कृपया आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

उपकुलसचिव (सम्बद्धन)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित:-
1- अनुसचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2- सहायक कुलसचिव/उपकुलसचिव परीक्षा, गोपनीय, शैक्षिक, प्रकाशन, लेखा ।
3- निजी सचिव कुलपति ।
4- क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा मण्डल, जिला पंचायत परिसर,बालूगंज, आगरा ।
5- अधीक्षक, एकेडमिक विभाग (कार्य परिषद)।

उपकुलसचिव (सम्बद्धन)

R. No. H.I.B.S/ 1109 Affil.
Dated 26/2/2017

डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

संख्या:सम्बद्धन/ 912 /2016
दिनांक:.....28.9.2016

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य
हैरीटेज इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल, ताला नगरी, रामघाट रोड़, अलीगढ़।

विषय:- हैरीटेज इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल, ताला नगरी, रामघाट रोड़, अलीगढ़ को वाणिज्य एवं कम्प्यूटर विज्ञान संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी0काम0 एवं बी0सी0ए0 पाठ्यक्रमों में सम्बद्धता की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन कुलपति महोदय के आदेशानुसार हैरीटेज इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल, ताला नगरी, रामघाट रोड़, अलीगढ़ को वाणिज्य एवं कम्प्यूटर विज्ञान संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी0काम0 एवं बी0सी0ए0 पाठ्यक्रमों में स्ववित्त पोषित योजमान्तर्गत उपर्युक्त शासनादेश में (प्रपत्र बी) में अंकित कमियों को पूरा किये जाने की शर्तों के अधीन जो कि निम्नवत है, सम्बद्धता प्रदान की जाती है :-

प्रबंन्ध समिति कालातीत हो चुकी हैं, प्राचार्य/शिक्षक विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित नहीं हैं, अग्निशमन प्रमाण पत्र कालातीत हो चुका हैं, तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति का प्रमाण संलग्न नहीं हैं।

यह सम्बद्धता (सत्र 2016-17) दिनांक 01.07.2016 से बी0काम0 एवं बी0सी0ए0 पाठ्यक्रमों हेतु तीन वर्ष के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रभावी होगी :-

(1) महाविद्यालय द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा-37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से तीन माह की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा तथा विश्वविद्यालय द्वारा जारी सम्बद्धता आदेश निरस्त कर दिया जायेगा। इसी क्रम में रिट याचिका संख्या 61859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या 522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल 2013 का अनुपालन महाविद्यालय शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने के साथ सुनिश्चित कराया जायेगा।

(2) महाविद्यालय निरीक्षण आख्या एवं प्रपत्र बी में इंगित कमियों तथा शिक्षक/प्राचार्य एवं प्रबन्ध समिति के अनुमोदन की प्रक्रिया तीन माह में पूर्ण कर ली जाये अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी व अगले शैक्षणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।

(3) यदि महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित प्रावधानों/उपबन्धों तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

(4) संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता आदेश में इंगित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्ते निरन्तर पूरी कर रहा है।

(5) महाविद्यालय शासनादेश संख्या 2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगा।

(6) महाविद्यालय शासनादेश संख्या-2218/सत्तर-2-2011-16(409)/2010 दिनांक 23 अगस्त, 2011 का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

(7) महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रबन्धतंत्र द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित अभिलेखों के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि किसी स्तर पर पाया जाता है कि सम्बन्धित अभिलेख/सूचना कूटरचित, असत्य थी एवं ऐसा कोई तथ्य छिपाया गया हो जिससे कि महाविद्यालय को सम्बद्धता नहीं दी जा सकती थी, तो प्राप्त सम्बद्धता निरस्त करने की कार्यवाई की जायेगी जिसका पूरा उत्तरदायित्त कालेज प्रबन्धतंत्र का होगा।

(8) संस्था का संचालन व्यावसायिक आधार पर नहीं किया जायेगा एवं संस्था विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश क्षमता से अधिक प्रवेश कदापि नहीं करेगी तथा विद्यार्थियों से शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शिक्षण व अन्य शुल्क ही प्राप्त करेगी।

(9) संस्था परिसर को रैंगिग मुक्त रखेगी एवं महाविद्यालय 180 शिक्षण दिवस पूर्ण करेगा।

(10) महाविद्यालय आल इण्डिया सर्वे ऑफ हॉयर ऐजूकेशन(ए0आई0एस0एच0ई0) से जोड़ने हेतु प्रत्येक सत्र में डी0सी0एफ0 -।। पूर्ण कर विश्वविद्यालय को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।

यह सम्बद्धता कार्य परिषद् की अनुमति की प्रत्याशा में जारी की जा रही हैं।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. वित्त अधिकारी, डा0 बी0आर0 अम्बेड़कर विश्वविद्यालय, आगरा।
4. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा एवं अलीगढ़ मंडल।
5. सचिव/प्रबन्धक, हैरीटेज इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल, ताला नगरी, रामघाट रोड़, अलीगढ़।
6. अपर सचिव उच्च शिक्षा परिषद इंदिरा भवन लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रर्दशन हेतु।
7. वेवसाईट प्रभारी डा0 बी0आर0 अम्बेड़कर विश्वविद्यालय, आगरा को वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
8. उप/सहायक कुलसचिव/सम्बद्धन/परीक्षा।
9. अधीक्षक सम्बद्धन विभाग।
10. अधीक्षक कुलपति सचिवालय।

कुलसचिव